Three days training module for trainers on 'Caring and Child Right Issues' under the 'Responsible Partner's and Caring Father's Program'

BACKGROUND पृष्ठभूमि

(इस मैनुअल का प्रयोग कैसे करें) How to use this Manual

प्रमुख रूप से यह प्रशिक्षण मैनुअल ऐसे प्रशिक्षकों के लिए है जो सीधे तौर पर गांव में पुरूषों के साथ काम करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न आयु समूह, शैक्षणिक पृष्ठभूमि में अलग समझ रखने वाले लोगों के साथ सत्र संचालन तकनीक की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना है। जानकारी की बेहतर समझ व भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस मैनुअल को सहभागी तरीके से बनाया गया है।

(फैसलिटेटर की भूमिका) Role of the Facilitator:

एक फैसलिटेटर/प्रशिक्षक वह है जो इस मैनुअल के अनुसार प्रतिभागियों की समझ और सीखने की दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि फैसलिटेटर/प्रशिक्षक सत्र आयोजित करने के पहले निम्न का पालन करें –

1. मैनुअल को ध्यानपूर्वक पढ़े।
2. प्रशिक्षण शुरू करने से पहले अभ्यास कार्य करें।
3. दिनभर के कार्यक्रम की योजना बना ले और इसके तहत कार्य करें।
4. ऐसे कठिन सवालों की तैयारी कर लें जो प्रतिभागी पूछ सकते हैं।
5. प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि, संस्कृति, कार्य अनुभव तथा बच्चों के अधिकारों व महिला स्वास्थ्य पर उनके पिछली जानकारी का पता लगा लें।
6. अच्छा संचार कौशल हो।
7. भेदभाव न करें तथा लचीला रूख हो।
8. विषय पर अच्छी जानकारी हो।
9. शेड्यूल का पालन करें तथा समय का प्रभावी प्रबन्धन करें।
10. स्थानीय भाषा की जानकारी हो।
11. व्यक्तिगत अनुभवों/कहानियों पर आधारित शिक्षण हो।
12. धैय रखें तथा अपनी स्थिति के आधार पर तर्को को बढ़ावा न दें।
13. प्रतिभागियों के स्तर पर ध्यान रखें।
14. सभी के समान सहभागिता का ध्यान रखें।

(प्रतिभागियों को निम्न प्रकार से प्रेरित व मार्गदर्शन करें) Motivate and guide participants by:

1. दोस्ताना व सहयोगी वातावरण बनाना।
2. विषयों को पूरा किये जा रहे हैं, इसके लिए जोश भरना।
3. प्रतिभागियों के सवालों और जरूरतों के लिए खुला होना।

4. प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहित करें कि वह आपसे बात करें। पहले दिन प्रत्येक प्रतिभागी से कोशिश करों और बात करों, यह उनको अपनी झिझक/शर्म दूर करने में मदद करेगा।
5. प्रतिभागियों पर दबाव न ड़ाले।
6. सभी प्रतिभागियों से आंखों का सम्पर्क बनाये रखें। यह प्रतिभागियों को जवाब देने के लिए मदद करेगा। जब आप उन्हे बोलने के लिए कहें तब उनके नाम का प्रयोग करें।
7. प्रतिभागियों को अपने सवालों के उत्तर तथा सन्तुष्टि के लिए समय रखें।

(निम्न प्रकार से सभी को भागीदारी बनाना बहुत जरूरी) Most importantly involve everyone by:

1. प्रतिभागियों से लगातार सवाल और प्रतिक्रिया जानना और पूछे जाने वाले सवालों पर उन्हे सोचने और जवाब देने के लिए समय देना।
2. सभी प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना तथा प्रतिक्रियाओं को संक्षेप में फ्लिप चार्ट में लिखना एक अच्छा तरीका है।
3. सत्र के दौरान चर्चा किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सत्र के शुरूआत में ही लिखना ताकि प्रतिभागी सत्र से भटके न।
4. यह सुनिश्चित करना कि जो चर्चा की जा रही है वह प्रत्येक प्रतिभागी समझ गया है।

(फैसलिटेटर को क्या नही करना चाहिये) What facilitator should not do:

1. गैरदोस्ताना तरीके से व्यवहार
2. प्रतिक्रियाओं के प्रति उदासीन या अनउत्तरदायी दिखना
3. सख्त होना
4. असहाय भाव
5. लोगों को बताना कि वे गलत हैं
6. भ्रमित जानकारी व निर्देश देना
7. प्रतिभागियों को स्वं जागरूकता महसूस करना
8. ऐसी बातें करना कि यह परिस्थिति के अनुसार ठीक नही है
9. प्रतिभागियों को अनुभव या जानकारी बांटने से रोकना
10. ऐसी भाषा या शब्द प्रयोग करना जो समझना कठिन हो

(प्रशिक्षण का तरीका) Mode of Training:

एक फैसलिटेटर/प्रशिक्षक को प्रशिक्षण आयोजित करने के दौरान विभिन्न तरीके और गतिविधियां जानना चाहिये जैसे –

	प्रशिक्षण माध्यम Training Medium	Training Activities प्रशिक्षण गतिविधियां
1.	Lecture भाषण	Song गीत
2.	Group work समूह कार्य	Play नाटक
3.	Presentation प्रस्तुतीकरण	Game खेल
4.	Role Play रोल प्ले	Case study केस अध्ययन, कहानी

INTRODUCTION (परिचय)

DAY -1 (पहला दिन)

सत्र–1 Welcome and introduction (स्वागत और परिचय)

उद्देश्य : फैसलिटेटर अपने आपको तथा अपनी संस्था के बारे में रखें तथा कार्यशाला की जरूरत के बारे में संक्षेप में बताये।

समय : 20 मिनट

सामग्री : टॉफी का पैकेट

तरीका : खेल

गतिविधियां : फैसलिटेटर अपने आपका परिचय दें और संक्षेप में सभी को कार्यशाला के बारे में बतायें। इसके बाद फैसलिटेटर चारो ओर टॉफी का पैकेट बढ़ायें।

सभी प्रतिभागियों को अपने परिचय में अपना नाम, जिस संस्था से आये हैं उसके बारे में तथा अपने स्वं के बारे में कुछ बताने के लिए कहें। फैसलिटेटर प्रतिभागियों को बतायें कि वह अपेक्षा करते हैं कि जो जितनी टॉफी लेगा वह अपने बारे में उतनी बातें बतायें, यदि कोई दो टॉफी लेगा तो वह अपने बारे में दो बातें बतायेगा इसी प्रकार अन्य सभी लोग करेगें।

फैसलिटेटर के लिए नोट – कार्यशाला की शुरूआत में एक खुला और दोस्ताना माहौल बनाने में यह एक अच्छा तरीका है।

Expectations (अपेक्षाएं)

उद्देश्य : प्रतिभागियों को कार्यशाला से अपनी अपेक्षाएं और आशंकाओं रखने का अवसर देना।

समय : 15 मिनट

सामग्री : फ्लिप चार्ट, मार्कर

तरीका : समूह चर्चा

गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम प्रतिभागियों को दो–दो के जोड़े में बैठनें के लिए कहें। इसके बाद आपस में चर्चा करते हुए कार्यशाला से अपेक्षाओं को नोट पेड में लिखने के लिए कहें। यदि उनकी कोई चिंता/आशंका है तो उसको भी नोट पैड़ में लिखने के लिए कहें।

2. इसके बाद जोड़े में बैठे प्रतिभागियों से पहले एक–एक अपेक्षा बताने के लिए कहें तथा मुख्य बिन्दुओं को फ्लिप चार्ट में लिखते जाय। सभी जोड़े के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पुनः दोहराये।

3. इसके बाद हर जोड़े से उनकी चिंता/आंशका को पूछे तथा दूसरे चार्ट में लिखते जाय।

4. निकली अपेक्षाओं और आशंकाओं पर सभी प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें।

फैसलिटेटर के लिए नोट – यदि कोई अपेक्षाएं ऐसी हैं जो कार्यशाला के दायरे से हटकर हैं तो उन्हें बाद में यह अन्य संस्थाओं से सम्पर्क करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं।

Goal and Outline of the Training (प्रशिक्षण का लक्ष्य और रूपरेखा)

उद्देश्य : कार्यशाला के लक्ष्यों और एजेण्डे में शामिल विषय जो पूरे किये जायेगें, को बताना।
समय : 10 मिनट
सामग्री : पहले से तैयार किया गया फ्लिप चार्ट
तरीका : भाषण

बाल अधिकारों को समझना – जरूरत और इच्छाओं में फर्क, अधिकारों की पहचान, कर्तव्यो को महसूस कराना, वे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें बच्चों को सामना करना पड़ता है?, शोषण के विभिन्न प्रकार, बाल अधिकारों का हनन और राज्य में हस्तक्षेप की विभिन्न स्थिति, निवारण तंत्र पर चर्चा और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले विभिन्न विभागों व अधिकारियों की पहचान।

Ground rules (कार्यशाला के बुनियादी नियम)

उद्देश्य : प्रतिभागी बनाये गये नियमों का पालन करेगें जिससे संचार और सीखने में वृद्धि होगी।
समय : 15 मिनट
तरीका : सहभागी चर्चा
सामग्री : फ्लिप चार्ट, मार्कर
गतिविधियां :

1. फैसलिटेटर प्रतिभागियों को बतायें कि उनकी सीख और भागीदारी को बढ़ाने के लिए तथा अनुकूल माहौल बनाने के लिए कार्यशाला के बुनियादी नियम बनाना जरूरी है।

2. इसके बाद प्रतिभागियों से कार्यशाला के नियम बताने के लिए कहें तथा उन्हे फ्लिप चार्ट में लिखते जाय। जो निम्न प्रकार से हो सकते हैं –
   - गोपनियता
   - दूसरों के व्यवहार, राय, विश्वासों तथा सांस्कृतिक भिन्नता का आदर करना
   - एक–दूसरे को सुनना
   - समय का पालन
   - आपस में कोई बातचीत न करना
   - मोबाईल बंद रखना
   - आदि

फैसलिटेटर को चाहिये कि वे उपरोक्त सुझावों पर चर्चा करें तथा अगर कोई बिन्दु छूट गया है तो उसको भी जोड़ने में मदद करें। यह जरूरी है कि निम्न पर चर्चा करें –

गोपनीयता – कार्यशाला में जो भी साझा किया गया है वह गोपनीय है। कार्यशाला के दौरान जो भी चर्चा की जा रही है उसमें प्रतिभागियों के अपने विचार और अनुभव हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत पहचान और विवरण का खुलासा नही होना चाहिये।

आलोचना – यह सही है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी की भावनाओं की आलोचना नही करना चाहिये।
खुली चर्चा – हर व्यक्ति को किसी के भी तथ्यों की जांच करने का अधिकार है।

फैसलिटेटर के लिए नोट – फैसलिटेटर को चाहिये कि वे प्रतिभागियों से बनाये गये बुनियादी नियमों के पालन की सहमति ले ले तथा बताये कि सभी लोग इन नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगें।

सत्र 02 – चौथे चरण के प्रशिक्षण का रिकैप

उद्देश्यः चौथे चरण के प्रशिक्षण में लिये गये विषयों का रिकैप करना व जानकारी पर स्पष्टता लाना।

पद्वति : क्विज व चर्चा
समय : 1:00 घंटा
सामग्री : प्रश्नोत्तरी, ह्वाईट बोर्ड व मार्कर

चरण :

1. फैसलिटेटर को चाहिये कि सर्वप्रथम प्रतिभागियों को जिलों के आधार पर तीन समूहों में अलग–अलग जगह पर बैठने के लिए कहें।

2. इसके बाद प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के नियमों को स्पष्ट कर दें कि जिस टीम से सवाल पूछा जायेगा उस टीम को निर्धारित समय में सही जवाब मिलने पर 10 अंक, अधूरा जवाब मिलने पर 5 अंक दिया जायेगा। अधूरा जवाब या जवाब न मिलने पर वही सवाल दूसरी टीम से पूछा जायेगा और अगर दूसरी टीम ने सही जवाब दिया तो उन्हे बोनस के तौर पर 5 अंक दिये जायेगें। यह क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक कि प्रश्नावली पूरी न हो जाय।

3. तत्पश्चात् फैसलिटेटर तीनों समूहों से क्रमशः सवाल पूछे तथा मिलने वाले जवाबों के आधार पर मिलने वाले अंको को ह्वाईट बोर्ड पर लिखते जाय।

4. यदि फैसलिटेटर को लगता है कि टीमों द्वारा सही जवाब नही मिला है या किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो उन्हें उस प्रश्न को स्पष्ट करना चाहिये।

5. जब प्रतियोगिता का क्रम पूरा हो जाय उसके बाद यदि प्रतिभागियों की तरफ से कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो फैसलिटेटर को उसे स्पष्ट करना चाहिये।

सत्र 3 – तीसरे चरण के प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति नियोजन का रिव्यू

उद्देश्यः

- प्रतिभागियों द्वारा किये जाने वाले बदलाव व हस्तक्षेप पर साझा जानकारी बढ़ाना।
- बदलाव की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों के समाधानों पर समझ बढ़ाना।

पद्वति : बदलाव की कहानियों की शेयरिंग

समय : 1:00 घंटा

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर, सफेद पेपर

चरण :

1. फैसलिटेटर को चाहिये कि वे सर्वप्रथम प्रतिभागियों को स्पष्ट कर दें कि उन्हें पिछले प्रशिक्षण में कहानी लेखन के बताये गये ढ़ॉचा के अनुसार व्यक्तिगत तथा समुदाय स्तर पर बदलाव की कहानी लिखना है। *नोट– फैसलिटेटर को चाहिये कि वे ढ़ॉचे को पुनः प्रदर्शित करें।*
2. इसके बाद फैसलिटेटर प्रतिभागियों को कहानी लिखने के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित कर दें।

3. प्रतिभागियों से बदलाव/चुनौती/समस्या की कहानियां इकट्ठा करने के बाद कुछ प्रतिभागियों को अपने प्रयासों को शेयर करने के लिए प्रेरित करें।

4. फैसलिटेटर, प्रतिभागियों द्वारा शेयर किये गये प्रयासों के आधार पर आने वाली समस्याओं/ चुनौतियों के आधार पर इनपुट दें ताकि उन्हें कम किया जा सके।

5. यदि फैसलिटेटर को लगता है कि कहानियों में प्रतिभागी अभी कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कहानियों की प्रति वापस कर दें तथा अगले दिन कहानी पूरा करते हुए वापस करने के लिए कहें।

सत्र–4 देखभाल (केयरिंग) को समान

उद्देश्य : पुरूष किस तरह देखभाल (केयरिंग) को समझते हैं तथा अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करते हैं पर समझ बढ़ाना।

पद्धति : ब्रेन स्टार्म

सामग्री : सफेद पेपर शीट, फ्लिीप चार्ट, मार्कर

चरण :

- प्रतिभागियों को एक–एक पेपर शीर्ट दें। सभी प्रतिभागी को पेपर के बीचो बीच देखभाल (केयरिंग) लिखने से कहें।
- फिर प्रतिभागियों से कहें कि वे सारे शब्द लिखें जो उनके दिमाग में देखभाल (केयरिंग) शब्द सुनने पर आता है।
- फिर सभी प्रतिभागियों से उन शब्दों को बताने को कहें।
- दो प्रतिभागी को बुलाऐं और उन्हें प्रतिभागियों से निकले उन सभी शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखने को कहें जो सभी प्रतिभागियों में आम (कामन) हैं।

- प्रतिभागियों से बड़े समूह मे चर्चा कराएं कि देखभाल (केयरिंग) कि व्याख्या क्या केवल एक विचार या काम से की जा सकती है।
- क्या खुद की देखभाल कराना अच्छा है? क्यों ?
- क्या दूसरों कि देखभाल करना अच्छा है? क्यों ?

सत्र का सार बांधते हुए बताएं कि देखभाल से जुड़े शब्द का भाव जो प्रतिभागियों निकले हैं उसमें कई प्रकार व विविधता है। अतः किसी एक प्रकार के काम को केवल देखभाल में नहीं रखा जा सकता।

सत्र–5 पुरुष व देखभाल

उद्देश्य : प्रतिभागी देखभाल (केयरिंग) से जुड़े पहलुओं से भावनात्मक रुप से जुड़ पाएंगे तथा एहसास कर पाएंगे।

पद्धति : रिफलेक्सन व शेयरिंग

समय : 1 घंटा 30 मिनट

सामग्री : दरी बैठने के लिए

चरण :

- प्रतिभागियों कों 2 गोले में बैठाए। एक गोला आन्तरिक गोला तथा दूसरा गोला बाहरी गोला कहलायेगा।
- अन्दर वाले गोले के व्यक्तियों से अपने जीवन में झाँकने/रिफलेक्ट करने को कहें।
- वह कौन सी घटना/समय था, जब आपकी कोई पुरुष देखभाल कर रहे थे? उस समय आप को कैसा लग रहा था?
- वह कौन सी घटना/समय था, जब आप किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे? उस समय आपको कैसा लगा था?
- अन्दर वाले व्यक्तियों को अपनी कहानी सुनाने को कहें जो उपरोक्त प्रश्नों पर रिफलेक्ट करने में याद आयी। बारी–बारी से अन्दर के गोले में बैठे सभी प्रतिभागी अपनी कहानी सुनाएँगे। बाहरी गोले में बैठे लोगों को धैर्य से सुनने को कहें।
- जब अन्दर के गोले में बैठे सभी प्रतिभागीयों ने अपनी कहानी सुना ली हो तो, उनसे पूछें की अभी कैसा महसूस कर रहें हैं? जब अन्दर के व्यक्तियों कि फीलिंग की शेयरिंग पूरी हो जाए तो बाहरी गोले में बैठे व्यक्तियों से पूछें कि अभी वे कैसा महसूस कर रहे हैं?
- बाहरी गोले में बैठे व्यक्तियों से भी पूछें कि क्या वे भी अपनी कोई कहानी सुनाना चाहेंगें। यदि कोई निकल कर आए तो उसे सुनाने दें।

सत्र का सार बाँधते हुए बताएं कि देखभाल या केयरिंग एव स्वाभाविक क्रिया है। इसमें महिला, पुरुष या टी0जी0 कोई भी देखभाल कर सकता है। देखभाल करने से केवल केयर पाने वाला व्यक्ति ही फायदा नहीं पाता बल्कि देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी भावनात्मक रुप से फायदा होता है और सम्बन्धों में मधुरता व प्रगाढ़ता आती है। देखभाल से पुरुषों को बाहर रखने से एक तरफ जहाँ महिलाओं पर कार्य बोझ बढ़ता है वहीं पुरुषों को भावनात्मक रुप से की नुकसान होता है। अतः महिला हो या पुरुष सभी को देखभाल पाने की व करने की जरुरत होती है। यदि हमें इन्सनियत को बढ़ाना है तो पुरुषों को देखभाल के कार्य व प्रक्रिया से जोड़ना होगा।

सत्र–6 परिवार में देखभाल

उद्देश्य : प्रतिभागियों के प्रैक्टिकल अभ्यास के माध्यम से देखभाल (केयरिंग) पर एहसास व चिंतन बढ़ाना।

समय : 45 मिनट

पद्धति : व्यक्तिगत अभ्यास

सामग्री : गुब्बारे, मार्कर

चरण :

- सभी प्रतिभागियों को 2–2 गुब्बारे दें और उन्हें फुलाने को कहें। उन्हें बता दें कि गुब्बारे सम्भालकर फुलाने हैं ताकि फूटे न, फुल जाने पर उन्हें बांध कर रखने को कहें ताकि उसका हवा न निकले।
- सभी प्रतिभागी गुब्बारे फुला लें तो उन्हें बताएं कि ये गुब्बारे आपके बच्चे हैं और आप इनके पिता।
- प्रतिभागियों को गुब्बारे पर बच्चे का चित्र मोटे मार्कर से बनाने को कहें। उन्हें प्रेरित करें कि बच्चे के आंख, मूंह, कान, बाल, हाथ, पैर आदि बनाए तथा बच्चे के चित्र को सजाने को कहें।
- प्रतिभागियों को प्रेरित करे कि वे गुब्बारे को जीवन्त बनाने की कोशिश करें इसके लिए बच्चे का नाम या घर वाला नाम लिखने को कहें।
- प्रतिभागियों में गुब्बारे रूपी बच्चे की देख–भाल करने के लिए इच्छा शक्ति व वादा (कमिटमेन्ट) पैदा करें। उन्हें दिनभर साथ में रखने को कहें। वे जहां जाते हैं जैसे चाय पीने, खाना खाने तो साथ में लेकर जाने को कहें। दिन भर बच्चों को सम्भालने को कहें।
- शाम को या दूसरे दिन सुबह पुनः इसी सत्र पर चर्चा करें कि ''गुब्बारा रूपी बच्चे'' के देखभाल में क्या–क्या हुआ?
- समूह में निम्न प्रश्नों के आधार पर चर्चा कराए–
  - यह गुब्बारा रूपी बच्चा आपके दैनिक जीवन में किस तरह का दखल दे रहा था?
  - क्या भाव उभर कर आ रहे थे?
  - देख–भाल करते समय किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
  - कौन सा काम देख–भाल के समय आपको अच्छा लगा?
  - क्या आपने किसी से मदद मांगी थी। किस तरह की मदद मागी?
  - जब आप अपने गुब्बारा बच्चे के साथ नहीं रह सकते थे तो क्या किया था उनके साथ?
  - क्या यह आपका असल में बच्चा होता तो यह सब करना आपको पसंद आता?
  - यदि आपका बच्चा बीमार या रोता हुआ होता तो क्या आपको देखभाल करना पसंद आता?

सत्र का सार बाधंते हुए बताएं कि देखभाल करने का काम किसी के लिए आनन्दायी हो सकता है। यद्यपि इसमे चुनौतियां व जिम्मेदारी होती है। यह केवल बच्चों की ही देखभाल में नहीं लागू होता, बल्कि किसी भी व्यक्ति के देखभाल में लागू होता है।

DAY: 2 (दूसरा दिन)

सत्र – 1 : पुनरावलोकन (रिकैप)

उद्देश्य : दूसरे दिन की चर्चाओं से बनी सीख को दोहराना तथा कन्फूयजन को स्पश्ट करना।
समय : 60 मिनट
सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर
पद्धति : बड़े समूह में चर्चा
चरण :

1. सर्वप्रथम फैसलिटेटर को चाहिये कि वे सभी प्रतिभागियों को दूसरे दिन हुई चर्चाओ से बनी सीख को एक–एक कर बताने के लिए कहें।
2. तत्पश्चात फैसलिटेटर को चाहिये कि वे प्रतिभागियों की छूटी हुई बात को जोड़े।
3. इसके बाद फैसलिटेटर को चाहिये कि वे प्रतिभागियों को जो बात समझ में न आई हो या और स्पश्टता चाहते हो, उसे बताने के लिए कहें।
4. प्रतिभागियों की ओर से निकलने वाले बिन्दुओं को चार्ट पेपर में लिखते जाये तथा उन बिन्दुओं को एक–एक कर स्पष्ट करें।

सत्र–2 देखभाल और समाजीकरण

उद्देश्य : देखभाल में जेण्डर भेदभाव पर प्रतिभागियों में समझ बढ़ाना तथा चिंतन करने के लिए प्रेरित करना।
पद्धति : समूह कार्य व शार्टिंग
सामग्री : फोटो/चित्र की कटिंग (समाचार पत्र या पत्रिका से) (बच्चे, प्रौढ, वृद्ध, बिमार, टूटे खिलौने, पालतू जानवर, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री) आदि आदि कम से कम 2 सेट।
चरण :

- प्रतिभागियों को 2 समूह में बांटें। हर समूह में 6 से 10 व्यक्ति हो सकते है।
- प्रत्येक समूह को चित्र का एक सेट दें।
- प्रत्येक समूह को दो चार्ट दें जिसमें एक पर महिला व दूसरे पर पुरुष लिखा हो।
- समूह को कहें कि चित्रों को छांटकर महिला या पुरुष वाले चार्ट पर चिपकाए। छांटने का आधार होगा कि कौन देखभाल ज्यादा जानता है या अच्छे तरह से कर सकता है।
- दोनों समूह को अपने चार्ट प्रस्तुत करने को कहें। समूह द्वारा प्रस्तुति के दौरान निकाले कि किन आधारों पर लोगों को किस तरह लोगों ने फोटो को बांटा है।
- समूह से चर्चा कराए कि–
    - ❖ क्यों कुछ तरह के चित्र केवल पुरुषों के पाले में रखे गए है?

- क्यों कुछ तरह के चित्र केवल महिलाओं के चार्ट पर रखे गए है?
- किस तरह के चित्र दोनों के चार्ट पर दिख रहे है?

- निम्न प्रश्नों के आधार पर बड़े समूह में चर्चा कराएं–
  - कौन अच्छी तरह देखभाल (केयरिंग) करता है। महिला या पुरुष? क्यों?
  - क्या महिलाएं पुरुष अलग तरह से देखभाल करना सीख सकते हैं बजाय कि हम जिस तरह की देखभाल में अन्तर देख रहे हैं।
  - क्या पुरुष उन वस्तुओं या व्यक्तियों की ठीक तरह से देखभाल कर सकते हैं जो महिलाओं के खाने में या चार्ट पर रखे गए हैं।
  - क्या महिलाएं उन वस्तुओं या व्यक्तियों की ठीक तरह से देखभाल कर सकती हैं जो पुरुषों के खाने/चार्ट में रखे गये हैं।
  - महिलाएं अच्छी तरह देखभाल करती हैं और पुरुष इनमें मदद कर सकते हैं इस पर आपकी क्या सोच है?
  - पुरुष बाहर काम करते हैं और महिलाएं घर सम्भालती हैं इस पर आप की क्या सोच है?
  - क्या पुरुष अपनी देखभाल करते हैं ? क्यों
  - क्या महिला अपनी देखभाल करती है ? क्यों
  - सामान्य तौर पर लोगों की देखभाल कौन ज्यादा काता है, महिला या पुरुष?

सत्र का सार बांधते हुए बताएं कि हमारे आस पास यह आम बात है कि महिलाएं व्यक्तियों जानवरों या पौधों की देखभाल ज्यादा करती हुई दिखती हैं जबकि पुरुष ज्यादातर वस्तुओं इलेक्ट्रॉनिक या शस्त्रों की देखभाल करते हुए देखे जाते हैं। यह महिला पुरुष के जेण्डर सामाजिकरण का परिणाम है। यदि लड़के बचपन से गाड़ी, पिस्तौल से खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चल कर उन्हीं की देखभाल सीखेंगे। जबकि लड़कियां गुड़िया या रसोई के खिलौने से खेलेगी तो आगे चलकर व्यक्तियों की देखभाल करना सीखती हैं। इस प्रकार देखभाल के काम का बटवारा सामाजिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूप से समाजीकरण द्वारा किया जाता है जो बदला भी जा सकता है।

सत्र – 3 बच्चों की जरूरत और चाहत बाल अधिकार, बाल शोषण व प्रकार

उद्देश्य :

1. बच्चे की जरूरत और चाहत क्या है? इसके बीच अन्तर की समझ बनाते हुए प्रतिभागियों में बच्चों के अधिकारों की जरूरत पर बुनियादी समझ बनाना।
2. बाल शोषण व उसके स्वरूपों पर जानकारी व समझ बनाना।

समय : 90 मिनट
सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, बोर्ड पिन
तरीका : समूह कार्य तथा प्रस्तुतीकरण

चरण 1 :

सर्वप्रथम फैसलिटेटर, 'बच्चों के अधिकारों' पर प्रतिभागियो की उनकी समझ को जाने या बच्चों के अधिकार हैं और उसकी परिभाषा व उम्र क्या है?
फैसलिटेटर को चाहिये कि वे प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को चार्ट पेपर पर लिखते जाय।

इसके बाद प्रतिभागियों को चार समूह में बांटते हुए उन्हें समूह में चर्चा करते हुए बच्चों की जरूरते क्या हैं? और इच्छाएं क्या है? चार्ट में लिखने के लिए कहें।

इसके बाद प्रत्येक समूह को बारी–बारी से चार्ट प्रस्तुतीकरण के लिए बुलायें।

प्रमुख सीख :

बच्चों के गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए या दूसरे इंसानो के लिए यह समझना जरूरी है कि हम मानव अधिकारों या बच्चों के अधिकारों के बारे में बात क्यो करते हैं। इस गतिविधि से प्रतिभागियों को जरूरतें और इच्छाओं के बीच फर्क करने में मदद मिलेगी। जो यह परिभाषित करने में मदद करती है कि कहां पर जरूरते समाप्त होती हैं और कहां पर इच्छाएं शुरू होती हैं और यह सीखने में मदद करती है कि बच्चों के भी अधिकार क्यो हैं। वयस्कों और बच्चों को जीवन में भिन्न चीजों की जरूरत होती है यह सभी को समझना चाहिये। कुछ खिलौने चाहते हैं और कुछ कार लेकिन जीवित रहने के लिए सभी को कुछ चीजों की जरूर होती है। भोजन, पानी और आवास हमारी जरूरत है। ये सभी लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि वे इतने महत्वपूर्ण है कि सभी को इनके हकदार होना चाहिये, उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। बच्चों के भी अधिकार हैं।

फैसलिटेटर के लिए नोट :
बच्चा कौन है? :
बच्चों और युवा व्यक्तियों से सम्बंधित विभिन्न अधिनियमों में परिभाषित किया गया है कि एक व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की उम्र हासिल नही किया है वह 'बच्चा' है तथा जिसने 14 वर्ष की उम्र पार कर ली है लेकिन 17 वर्ष की उम्र पार नही किया है वह 'वयस्क व्यक्ति' है। हालांकि इस खण्ड के प्रायोजन के लिए बच्चा शब्द में बच्चों और वयस्क व्यक्तियों दोनों को शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है बच्चा है।

बच्चों के अधिकार –

बच्चों के दो प्रकार के अधिकार हैं – तात्कालिक (राजनैतिक और नागरिक अधिकार) और प्रगतिशील (सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार)।

उत्तरजीविता का अधिकार/जीवन का अधिकार : इसमें बच्चों के बच्चों के जीवन के अधिकारों और जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को शामिल किया गया है जैसे– पोषण, आवास, एक उचित जीवन स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच।

विकास का अधिकार : प्रत्येक बच्चें को उसकी पूरी क्षमता के आधार पर जैसा कि वह तलाशता/चाहता है, विकास करने का अधिकार है। इसमें शिक्षा का अधिकार, खेल, अवकाश, सांस्कृतिक गतिविधियों, सूचनाओं तक पहुंच और विचारों की स्वतंत्रता, और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल है।

सुरक्षा का अधिकार : बच्चों को किसी भी शारीरिक या मानसिक चोट और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बच्चें ठीक प्रकार से देखभाल में हैं और किसी भी हिंसा, दुरूपयोग, उनके अविभावको या जो भी उनकी देखभाल करते हैं उनकी उपेक्षा से सुरक्षित हैं। हिंसा से जुड़ा किसी भी प्रकार का अनुशासन अस्वीकार्य है। सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है कि बच्चें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण जिसमें शरणार्थी बच्चों के लिए विशेष देखभाल, ऐसे बच्चें जो आपराधिक न्याय व्यवस्था की देखरेख में हैं, रोजगार में बच्चों का संरक्षण, ऐसे बच्चें जो किसी भी प्रकार के शोषण से प्रभावित हैं उनके सुरक्षा और पुर्नवास को सुनिश्चित करता है।

सहभागिता का अधिकार : राय व्यक्त करने के लिए बच्चों की स्वतत्रंता, उनके स्वंय के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में कहने के लिए, संगठनों में शामिल होने के लिए और उनकी उम्र व परिपक्वता के आधार पर शांतिपूर्ण इकट्ठा होने के लिए आदि को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि बच्चों को जिम्मेदार व्यस्क की तैयारी के लिए सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है।

यू0एन0सी0आर0सी0 (1989) – बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक अर्न्तराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो कि सभी बच्चों और युवाओं को (17 और कम आयु वर्ग के) अधिकारों का व्यापक सेट देते हैं। वर्तमान में यू0एन0सी0आर0सी0 सबसे व्यापक रूप से पुष्टि की गई मानवाधिकार संधि हैं। यह ही मात्र अर्न्तराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया है। यह हर बच्चें को उनके सेक्स, धर्म, सामाजिक मूल, और जहां तथा जब वे पैदा हुए थे, बिना किसी परवाह के सुरक्षित, खुश और पूरा बचपन जिसे पूरा करने की जरूरत,है, विस्तारपूर्वक कहा गया है। भारत ने 1992 में इसकी पुष्टि की।

अधिकारों को तीन स्तरों पर निर्धारित किया जा सकता है – गैर भेदभाव, सहभागिता और बच्चे के सवोत्तम हित।

भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकार –

अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार
अनुच्छेद 15 – भेदभाव के विरूद्ध अधिकार
अनुच्छेद 21 – व्यक्तिगत स्वायत्ता/स्वतत्रंता का अधिकार
अनुच्छेद 21 अ – शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 24 – बाल श्रम/व्यापार
अनुच्छेद 39 व 45 – समान अवसर और सुविधाओं का अधिकार और 6 साल की उम्र तक बचपन में देखभाल और शिक्षा का अधिकार

नोट – प्रतिभागियों को अपने प्रस्तुतीकरण में दिये गये बच्चों की जरूरतों को उपरोक्त अनुच्छेदो में डालने के लिए कहा जाना चाहिये।

चरण : 2 बाल शोषण व स्वरूप

प्रतिभागियों को चार समूहों में बैठायें। प्रत्येक समूह को निम्न विषयों को बांटते हुए उन पर चर्चा करते हुए भाषण, रोल प्ले, समूह कार्य या प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपनी बातें रखने के लिए कहें –

1. **मानसिक शोषण** – (मानसिक शोषण क्या है, इसके संकेत और लक्षण क्या है, बच्चे पर मानसिक शोषण का क्या प्रभाव होता है तथा किसी घटना की कहानी)
2. **शारीरिक शोषण** – (शारीरिक शोषण क्या है, इसके संकेत और लक्षण क्या है, बच्चे पर शारीरिक शोषण का क्या प्रभाव होता है तथा किसी घटना की कहानी)
3. **यौनिक शोषण** – (यौनिक शोषण क्या है, इसके संकेत और लक्षण क्या है, बच्चे पर यौनिक शोषण का क्या प्रभाव होता है तथा किसी घटना की कहानी)
4. **उपेक्षा –** (एक बच्चे की जरूरत की उपेक्षा क्या है, इसके संकेत और लक्षण क्या है, यह किसी बच्चे को कैसे प्रभावित करती है तथा किसी घटना की कहानी)

Notes to facilitator: फैसलिटेटर के लिए नोट –

बाल शोषण क्या है?

सत्र की शुरूआत 'बाल शोषण' पर समझ के साथ करें। इसके बारे में प्रतिभागियों से पूछ सकते हैं कि इसके बारे में वे क्या समझते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा और जो विभिन्न प्रकार की होती है, पर प्रतिभागियों की समझ बनाना है।

शोषण शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार की चोट, उपेक्षा या उपचार में लापरवाही और यौनिक हो सकता है। हिंसा विभिन्न स्थानों यथा घर, स्कूल, पड़ोस, आवासीय देखभाल सुविधाओं, सड़क, पूजास्थल, जेलों और हिरासत की जगहों पर हो सकती है। इस प्रकार की हिंसा से बच्चों का सामान्य विकास प्रभावित हो सकता है जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर बिगडता है। गंभीर मामलो में बच्चों पर शोषण का परिणाम उनकी मौत भी हो सकती है।

बाल दुर्व्यवहार विभिन्न प्रकार का हैः शारीरिक, भावनात्मक, यौनिक, उपेक्षा और शोषण। इनमें से कोई भी बच्चों के स्वास्थ्य, अस्तित्व, गरिमा और विकास के लिए हानिकारक है जो कि शोषण है।

CASE STUDY/ROLE PLAY केस अध्ययन/रोल प्ले

सत्र को अच्छी तरह से समझने व प्रतिभागियों की मदद के लिए कुछ घटनाओं पर चर्चा किया जा सकता है।

चार प्रकार के बाल शोषण –

1. शारीरिक शोषण
2. भावनात्मक शोषण
3. यौनिक शोषण
4. उपेक्षा

शारीरिक शोषण : बच्चों पर किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण जिसका परिणाम उन पर शारीरिक चोट हो सकती है, शारीरिक शोषण है। इसमें लात मारना, जलाना, मारना, धक्का देना आदि हो सकता है। इस तरह का व्यवहार किसी भी बच्चें के साथ ठीक नही है। बच्चे और वयस्क ऐसा दण्ड/सजा महसूस नही करते हैं जबतक कि शारीरिक दर्द या चोट के रूप में न हो, तब यह शोषण है।

कभी–कभी यह काफी हद तक बढ़ जाता है जहां नाबालिगों में अत्यधिक शारीरिक चोट के निशान, टूटी हुई हड्डियों, काली ऑखे या अन्य चोट या मानसिक आघात के रूप में दिखता है।

भावनात्मक शोषण : भावनात्मक शोषण का बच्चों और वयस्कों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। यह अक्सर लोगों की अनुभूति (feeling) को अप्रिय और अनचाहे तरीके से छोड देता है। भावनात्मक शोषण ज्यादातर अपमान, धमकी, अलग करना, शोषण, अनदेखी करना आदि के रूप में होता है। भावनात्मक रूप से शोषित बच्चे अक्सर अपने आप को दूसरो से जुड़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। वे व्यवहार में चरम सीमाओं को दिखा सकते हैं। ऐसे बच्चें या तो बच्चों जैसा व्यवहार कर सकते हैं या असमान्य परिपक्वता दिखा सकते हैं या अपने आप को बहुत ही पीछे ले जा सकते हैं।

यौनिक शोषण : यौन शोषण में बच्चों के शोषण से जुड़े यौन कार्य या व्यवहार शामिल है। व्यभिचार की घटना में शामिल होना या परिवार के सदस्यों के बीच यौन व्यवहार यौन शोषण का एक सामान्य प्रकार है। ऐसे बच्चे जिनके साथ यौनिक दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ यौन संचारित रोग या अनचाहे गर्भ का ज्यादा खतरा होता है।

उपेक्षा : यह हर बच्चे का अधिकार है कि उसके जीवन की बुनियादी जरूरते पूरी हो। कभी कभी उनकी उपेक्षा तब होती है जब माता–पिता बच्चों की इन बुनियादी जरूरतों को पूरा नही कर पाते। इनमें भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या देखरेख हो सकते हैं। भावनात्मक उपेक्षा से कभी–कभी अवसाद और दीर्घकालिक स्वं नुकसान कर सकते हैं।

Questions to be raised by facilitator: (फैसलिटेटर के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल)

यदि माता–पिता बच्चों की पिटाई करते हैं तब यह किस प्रकार का शोषण है?
अनुशासनात्मक कार्यवाही के नाम पर किसी भी बच्चे को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का यह अपौचारिक अभ्यास है। इस तरह का व्यवहार करने की बजाय हम सभी को बच्चे से बात करने का प्रयास करना चाहिये। यह देखा गया है कि जो बच्चों के साथ शारीरिक शोषण करते हैं बच्चे उनका सम्मान नही करते।

क्या बाल दुर्व्यवहार शिक्षित और अमीर लोगों के घरो में भी होता हैं?
हॉ, यह देखा गया है कि ज्यादातर दुर्व्यवहार उन स्थानों पर होता है जहां व्यक्ति उसे अच्छी तरह से जानता है या नजदीकी रिश्तेदार है।

यदि हम अपने आस–पास किसी प्रकार का बाल दुर्व्यवहार देखते हैं तब हमें क्या करना चाहिये?
ऐसा कोई भी व्यवहार जिससे बच्चे को असहजता महसूस हो उसे तुरन्त किसी से भी या रिश्तेदार से कहना चाहिये। बच्चों को जिन्होंने असहजता महसूस किया है उन्हे अपने रिश्तेदार, पुलिस या जिन पर वे विश्वास करते हैं सूचित करना चाहिये।

जब एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है तब क्या होगा?
बच्चे जेल नही भेजे जाते हैं बल्कि वे बाल सुधार गृह भेजे जाते हैं।

सत्र – 4 बाल अधिकार व उससे जुड़े कानून

उद्देश्य : बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु बाल अधिकारों सम्बंधित कानूनों पर जानकारी बढ़ाना।
समय : 90 मिनट
सामग्री : मार्कर, हवाईट बोर्ड

प्रक्रिया : समूह चर्चा व भाषण

चरण :

1. फैसलिटेटर सर्वप्रथम, प्रतिभागियों से बाल अधिकारों से जुड़े प्राविधानों व कानूनों के बारे में पूछें।
2. प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को बोर्ड पर लिखते जाय।
3. इसके बाद फैसलिटेटर विभिन्न प्राविधानों व उससे जुड़े कानूनों पर निम्न प्रकार से समझ बढ़ाये –

बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए निम्न प्राविधान हैं –

बाल कल्याण समिति – बच्चो की देखरेख और संरक्षण की जरूरतों को हल करने के लिए बाल कल्याण समिति एक स्वायत्त निकाय है जो कि सक्षम प्राधिकरण के रूप में घोषित की गई है। यह जे0जे0 संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार जरूरी और अनिवार्य है जिसमें एक या एक अधिक समितियां होनी चाहिये, जो कि बच्चे की देखरेख और संरक्षण की जरूरत और उनके बुनियादी अधिकारों और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुर्नवास के मामलो को अंतिम प्राधिकारी के रूप में निपटायेगें।

जिन बच्चो के अधिकार बाधित किये गये हैं उनको क्योंकि सुरक्षा और न्याय की पारम्परिक प्रक्रिया में असफलता के मद्देनजर बाल कल्याण कमेटियो की संकल्पना/प्रक्रिया को लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट बाल अधिकार घोषणा के प्राविधानो को स्वीकारते हुए न्यायिक प्रक्रिया के विकल्प के रूप में बच्चों के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण का सृजन की दृष्टि से बाल कल्याण समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।

बाल अधिकारों पर सम्मेलन (सी0आर0सी0) – 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन को अपनाया जिसमें बच्चों के सर्वोत्तम हित हासिल करने के लिए सभी राज्य पक्षो द्वारा पालन करने हेतु मानको का एक सेट निर्धारित किया। सम्मेलन न्यायिक कार्यवाही का सहारा लिये बिना, जहां तक संभव हो, पीड़ित बच्चों के सामाजिक एकीकरण पर जोर देती है।

सम्मेलन 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को एक 'बच्चा' परिभाषित करता है, जबतक कि किसी विशिष्ट देश के कानूनों में वयस्कता के लिए कोई कानूनी उम्र निर्धारित न की गई हो। बाल अधिकारों पर सम्मेलन, बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए गैर भेदभावपूर्ण, सुरक्षा, बच्चों के अधिकारों आदि को परिभाषित करता है। निम्नलिखत अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई –

शिक्षा का अधिकार – सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है जो कि निःशुल्क होना चाहिये। इस अधिकार को पाने के लिए अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिये। स्कूलों में अनुशासन के नाम पर बच्चों की गरिमा का सम्मान करना चाहिये। हिंसा के प्रयोग के बिना, स्कूलों को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाना चाहिये ताकि शिक्षा से बच्चों को लाभ मिल सकें। स्कूली अनुशासन के किसी भी रूप में बच्चों की मानव गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिये। इसलिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि स्कूल प्रशासक अपनी अनुशासन नीतियों की समीक्षा करें तथा शारीरिक या मानसिक हिंसा, शोषण या उपेक्षा से जुड़े किसी भी अनुशासनात्मक अभ्यासों को खत्म करें। ऐसे युवा जो सक्षम हैं, उन्हें शिक्षा के उच्चतम स्तर तक पहुॅचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा का अधिकार – बच्चों को किसी भी शारीरिक या मानसिक चोट, दुर्व्यवहार से सरंक्षण का अधिकार है। सरकारों को बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, शोषण और उपेक्षा, जो कि उनके माता–पिता या किसी और से जो उनकी देखभाल करते हैं, ठीक प्रकार से देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये। अनुशासन के संदर्भ में, सम्मेलन यह उल्लेख नही करता कि माता–पिता को किस प्रकार की सजा देना चाहिये। हालांकि अनुशासन से जुड़ी किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नही है। बच्चों की सीख को

मदद करने के लिए अनुशासन के प्रभावी तरीके हैं कि उनके व्यवहार के लिए परिवार और सामाजिक अपेक्षाओं को जाने, जो अहिंसक रहे हैं, बच्चें के विकास के स्तर पर उपयुक्त है और बच्चें के सर्वोत्तम हित में है। अधिकांश देशो के कानूनों में पहले से परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार की सजा अत्यधिक या अपमानजनक माना जाता है। यह प्रत्येक सरकारों पर निर्भर करता है कि सम्मेलन के संदर्भो में इन कानूनो की समीक्षा करें।

अधिकारों के संरक्षण का अधिकार – सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के अधिकारो का सम्मान हो, संरक्षित हो और पूरे हो। जब देश कन्वेंशन की पुष्टि करते हैं, तब वे बच्चो से सम्बंधित अपने कानूनो की समीक्षा पर सहमत होते हैं। इनका आंकलन उनकी सामाजिक सेवाओं, कानूनी, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली, साथ इन सेवाओं के लिए वित्त पोषण के स्तर पर की जाती है। इसके बाद इन क्षेत्रो में कन्वेंशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानको को पूरा करने के लिए सरकारें सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य होती हैं। सरकार को बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करनें के लिए परिवारों की मदद करनी चाहिये और ऐसा माहौल बनाना चाहिये जहां वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और आगे बढ़ सकें। कुछ उदाहरणों में, सरकारें मौजूदा कानूनों को बदलने या नये कानून बना सकती हैं। देश में किसी भी कानून के बनाने या सुधारने में इस तरह के विधायी परिवर्तन लाने के लिए एक ही प्रक्रिया को थोपा नही गया है।

अवकाश/आराम, खेल और संस्कृति का अधिकार – बच्चों को आराम और खेलने, सांस्कृतिक, कलात्मक व अन्य मनोरंजक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रंखला में शामिल होने का अधिकार है।

1. **यौन शोषण से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम 2012** – बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा के लिए कानूनी प्राविधानों को मजबूत बनाने के लिए 2012 में 'यौन अपराधो से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' का मसौदा तैयार किया गया। पहली बार बच्चों के विरूद्ध यौन उत्पीडन से जुड़े मुद्दो से सम्बंधित विशेष कानून पास किया गया।

   वर्तमान में यौन अपराधो को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शामिल किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता में बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार के यौन शोषण शामिल नही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वयस्क और बाल पीड़ित के बीच फर्क नही करता।

   यौन अपराधो से बच्चों का संरक्षण कानून 2012 'बच्चा' को परिभाषित करता है कि, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को जो यौन उत्पीड़न, यौन शोषण व अश्लील साहित्य से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम को अपराध की गंभीरता के आधार पर वगीकृत किया गया है जिसमें कडे दण्डो का प्राविधान किया गया है। इसमें दण्ड की सीमा साधारण से विभिन्न अवधियों के लिए सश्रम कारावास की है।

2. **भारतीय दंड संहिता का खण्ड 82** – सात साल से कम उम्र के बच्चों से हुए अपराध को अपराध की श्रेणी में नही माना जायेगा।
3. **भारतीय दंड संहिता का खण्ड 83** – 7 साल से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चें जिनकी समझदारी अपरिपक्व है उनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो उपराध की श्रेणी में नही माना जायेगा क्योंकि इस उम्र समूह के बच्चे इस तरह की घटनाओं और परिस्थितियों के प्रकृति और उसके होने वाले प्रभावों या अपने व्यवहार के बारे में समझदारी नही रखते।
4. **भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875** के अनुसार भारत में अधिवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह वयस्कता की श्रेणी में माने जायेगें।
5. **बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986** – इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों का जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, किसी कारखाने या खदानों एवं जोखिम युक्त उद्दयम में नियोजन का निषेध

किया गया है इनके अलावा अन्य जगहों पर बच्चों के नियोजन में कार्य करने योग्य परिस्थितियों का विनियमन करता है।

6. **किशोर न्याय अधिनियम** – इसे जे0जे0 एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह बाल अधिकार की रोकथाम और उपचार की दिशा में विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है और किशोर न्याय प्रणाली की दिशा में बच्चों की सुरक्षा, उपचार और पुर्नवास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
7. **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम** – यह कानून जब कोई पुरूष जो 21 वर्ष से कम है या कोई महिला जो 18 वर्ष से कम है, को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। विवाह में जब दोनों में से कोई भी व्यक्ति बच्चा है, उसे बाल विवाह माना गया है। यह जरूरी नही है कि विवाह के लिए दोनो पार्टी बच्चे हैं, यदि कोई एक भी बच्चा है तो वह बाल विवाह ही माना जायेगा।

सत्र – 5 बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने में पुरूषों की भूमिका

उद्देश्य : बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में पुरूषों की भूमिका पर जानकारी व समझ बढ़ाना।

समय : 60 मिनट

सामग्री : मार्कर, हवाईट बोर्ड

प्रक्रिया : समूह चर्चा

चरण :

1. फैसलिटेटर को चाहिये कि वे सर्वप्रथम प्रतिभागियों से निकलवाये कि बच्चों से जुड़े मुद्दे कौन–कौन से हैं जिन पर काम करने की जरूरत है?
2. प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को फैसलिटेटर बोर्ड पर लिखते जाय।
3. इसके बाद फैसलिटेटर, प्रतिभागियों से पूछे कि पिता के रूप में हम अपने आप को किन–किन भूमिकाओं में देखना चाहते हैं?
4. प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को बोर्ड पर लिखें।
5. इसके बाद फैसलिटेटर पुनः प्रतिभागियों से पूछे कि पिता के रूप में हम अपने आप को किन–किन भूमिकाओं में नही देखना चाहते हैं?
6. प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को बोर्ड पर लिखें।
7. अंत में फैसलिटेटर प्रतिभागियों के साथ चर्चा करते हुए बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में पिताओं के रूप में पुरूषों की भूमिकाओं को स्पष्ट करें।

फैसलिटेटर के लिए –

पिता एक व्यक्ति है जिसकी कुछ भूमिकाएं (जैसे– जिम्मेदारी, संरक्षक) होती है। पिता के रूप में जब पुरूषों को देखा जाता है तो वे जिम्मेदारी व संरक्षक के रूप में तो दिखाई देते हैं लेकिन बच्चों के देखभाल में पुरूषों की भूमिका हमेशा कम रही है। जब तक पुरूष देखरेख की भूमिका में नही आयेगा तब तक वह महिलाओं व बच्चों की मदद नही कर सकता और न ही हम संवेदनशीलता की बात कर सकते। इसलिए पुरूषों को बच्चों के साथ दोस्त के रूप में देखभाल से जुड़ी भूमिकाओं में योगदान करना होगा।

DAY: 3 (तीसरा दिन)

सत्र – 1 : पुनरावलोकन (रिकैप)

उद्देश्य : दूसरे दिन की चर्चाओं से बनी सीख को दोहराना तथा कन्फूयजन को स्पष्ट करना।
समय : 60 मिनट
सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर
पद्धति : बड़े समूह में चर्चा
चरण :

1. सर्वप्रथम फैसलिटेटर को चाहिये कि वे सभी प्रतिभागियों को दूसरे दिन हुई चर्चाओ से बनी सीख को एक–एक कर बताने के लिए कहें।
2. तत्पश्चात फैसलिटेटर को चाहिये कि वे प्रतिभागियों की छूटी हुई बात को जोड़े।
3. इसके बाद फैसलिटेटर को चाहिये कि वे प्रतिभागियों को जो बात समझ में न आई हो या और स्पश्टता चाहते हो, उसे बताने के लिए कहें।
4. प्रतिभागियों की ओर से निकलने वाले बिन्दुओं को चार्ट पेपर में लिखते जाये तथा उन बिन्दुओं को एक–एक कर स्पष्ट करें।

सत्र – 2 : बच्चों एवं महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने में सोशल मीड़िया

उद्देश्य : प्रतिभागी सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकारों व उसके उपयोग के बारे में समझ बना पायेगें।
समय : 120 मिनट
सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, स्मार्टफोन व इन्टरनेट सुविधा
पद्धति : छोटे व बड़े समूह में चर्चा, डेमो
चरण :

1. फैसलिटेटर सबसे पहले प्रतिभागियों से पता करें कि वर्तमान में सोशल मीड़िया के माध्यम कौन–कौन से हैं तथा बोर्ड में निकले जवाबों के आधार पर उनकी सूची बना लें।
2. इसके बाद फैसलिटेटर सोशल मीड़िया में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले माध्यमों यथा फेशबुक व वाट्सअप के बारे में चर्चा करें। इसके लिए प्रतिभागियों को दो–दो के जोड़े में बैठने के लिए कहें।
3. समूह इस प्रकार बनाया जाना चाहिये कि कम से कम एक प्रतिभागियों के पास स्मार्ट फोन हो तथा वह किसी न किसी प्रकार के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हो।
4. प्रतिभागियों को बारी–बारी से अपना फेशबुक एकाउन्ट खोलने के लिए कहें तथा इसके बाद उनसे पूछे कि इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक कैसे करना चाहिये?
5. फैसलिटेटर को चाहिये कि बच्चों और महिला अधिकारों के संरक्षण में इन सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे कर सकते हैं तथा इनके प्रयोग करते समय किन–किन सांवधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये, विस्तार से जानकारी दें।
6. इसके बाद फैसलिटेटर प्रतिभागियों से साईबर अपराध क्या है? तथा इसके लिए क्या सावधानियां रखने की जरूरत है? उनकी राय ले।

7. प्रतिभागियों के जवाबों के आधार पर फैसलिटेटर को चाहिये कि वे उन्हें सही जानकारी तथा इन अपराधों से बचने के लिए जरूरी उपायों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दें।

सत्र – 3 : अभियानों में सामाजिक मीड़िया का प्रयोग

उद्देश्य : प्रतिभागी जल्द विवाह और अभियान में सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में जान पायेगें।
समय : 120 मिनट
सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, प्रोजेक्टर, लैपटाप व इन्टरनेट सुविधा
पद्धति : बड़े समूह में चर्चा व डेमो
चरण :

1. सर्वप्रथम फैसलिटेटर द्वारा लैगिंक भेदभाव व महिलाओं पर होने वाली हिंसा के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हुए जल्दी विवाह (कम उम्र में शादी) को लेकर चलाये गये अभियान की चर्चा करें।
2. इसके बाद चलाये जाने वाले किसी भी अभियान में सोशल मीड़िया का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर प्रतिभागियों के अनुभवों व जानकारी को जानने का प्रयास करें।
3. प्रतिभागियों से निकलने वाले उनके प्रभुख अनुभवों को बोर्ड पर लिखते जाय।
4. तत्पश्चात् फैसलिटेटर सोशल मीड़िया का प्रयोग करते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रयोग के तरीकों पर चर्चा करें तथा चलाये गये अभियान और प्रयोग किये गये तरीकों से जुड़े अनुभवों को सभी प्रतिभागियों के सामने रखें।
5. अंत में अभियानों के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय किन–किन सांवधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए जानकारी दें।

सत्र – 4 व्यक्तिगत कार्य योजना

उद्देश्य : टी0ओ0टी0 के बाद समुदाय स्तर पर फालोअप प्रशिक्षण की रूपरेखा तय हो पायेगी।
समय : 60 मिनट
सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर
प्रक्रिया : व्यक्तिगत योजना
चरण :

1. फैसलिटेटर प्रत्येक प्रतिभागी को तीन दिवसीय प्रशिक्षण से बनी सीख के आधार पर बदलाव का नियोजन निम्न आधार पर बनाने के लिए प्रेरित करें –
   स्वंय के स्तर पर की जाने वाली पहल –
   - .....
   - .....
   - .....

   परिवार/समुदाय के स्तर पर की जाने वाली पहल –

- .....
- .....
- .....

2. रूप से उनके साथ चर्चा करें तथा जरूरी मदद करें।
3. फैसलिटेटर बदलाव के नियोजन की एक प्रति अपने पास जमा करवा लें ताकि अगले प्रशिक्षण के दौरान किये जाने वाले प्रयासों और आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए जरूरी इनपुट दिया जा सके।

सत्र – 5 : प्रशिक्षण का संक्षेपीकरण व धन्यवाद ज्ञापन

उद्देश्य : तीन दिवसीय प्रशिक्षण से बनी सीख को दोहराना तथा कन्फूयजन को स्पष्ट करना।

समय : 15 मिनट

सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर

पद्धति : भाषण

चरण :

1. फैसलिटेटर प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षण में तीन में की गई प्रमुख चर्चा के बिन्दुओं को बारी–बारी से शेयर करने के लिए कहें।
2. जब सभी प्रतिभागियों द्वारा बातों को रख दी गई हों और कुछ बिन्दु छूट गये हों तो फैसलिटेटर द्वारा छूटे बिन्दुओं को जोड़ा जाना चाहिये।
3. यदि किसी भी प्रतिभागी को किसी विषय में अस्पष्टता हो तो उसे पूछते हुए फैसलिटेटर द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिये।
4. अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए प्रशिक्षण का समापन किया जाना चाहिये।

Three days Animators and Facilitators training on Child Right & Caring issues

Date: 16-18 June 2017

Place: Saptrishi Seva Kendra, Ranchi (Jharkhand)

Draft Agenda

Time	Session	Objectives	Method	Materials	Person
DAY – 1 (16.06.2017)					
60 M	Welcome and introduction	To enable the facilitator to introduce himself and about the need for the workshop. Participants will introduce themselves.	Game	List of questions	Mahendra Kumar
	Expectations	Participants will articulate their expectations from the workshop.	Open discussion	Flip chart, Markers	Jagdish Lal
	Goal and Outline of the Training	To outline the goals of the workshop & the agenda that will be followed and the topics that will be covered	General Lecture	A prepared flip chart or overheads	
	Ground rules	To get participants to adopt a set of ground rules that will enhance communication and learning.	Exercise and discussion	Flipchart and markers	
60 M	Review of the 4th phase training	Participants will able to recall the subjects last training	Quiz		Jagdish Lal
60 M	Sharing by the participants	Participants will share their changes, challenges & experiences	Story writing and sharing	A-4 paper	Animators
60 M	Understanding Caring	To increase understanding on caring and how to apply in their life	Brain storming	Whiteboard, Marker	Mahendra Kumar
60 M	Men and Caring	Participant will realise and able to attach with emotional aspect of caring	Reflection and sharing		Jagdish Lal
45 M	Caring in Family	To increase the realization and reflection on caring through practical exercise		Balloon and Marker	Jagdish Lal/ Mahendra Kumar
DAY – 2 (17.06.2017)					
60 M	Recap of first day	Participant will be able to share their learning's and confusions/problems	Individuals sharing	Whiteboard, Marker	Mahendra Kumar

60 M	Caring and socialisation	To increase the understand on gender discrimination in caring and motivate to participants for reflection	Group work and shorting	Photo/picture from News Papers	Jagdish Lal
90 M	Understanding Child Rights, Child abuse and it's form	To provide understanding on the Child right & Child abuse, different forms and signs of abuse.	Lecture and open discussion (Film screening)	Projector, Film & sound system	Reshma- Aali
120 M	Child Rights related laws	RTE,POCSO, Trafficking, Labor Act etc.	PPT Presentation	Projector	Reshma- Aali
60 M	Role of Men to ensuring Child Rights	To propagate children's rights in a village family setting	Lecture & open discussion	Chart Papers, marker pens	Mahendra Kumar
DAY – 3 (18.06.2017)					
60 M	Recap of first day	Participant will be able to share their learning's and confusions/problems	Individuals sharing	Chart Papers, marker	Jagdish Lal
120 M	Use of social media to ensuring women's and child rights	Participant will able to understand about the different mode of social media to ensuring women's and child rights and its impact	Collective discussion	Projector, Net connection	Anupriya- FAT
120 M	Use of media in social mobilisation (Campaigns)	Participant will able to understand about the campaign against early marriage and use of media	Collective discussion	Projector	Kavita- Breakthrough
60 M	Planning	Participant will make their change plan	Individuals	A-4 paper	Jagdish Lal
15 M	Vote of thanks				Mahendra Kumar